प्रेषय आदेश
14.8

बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

संख्याः–8/आ0(राज0उ0)–2–27/2016 ......2850....../श्री संजय कुमार चौधरी, तत्का0 निरीक्षक उत्पाद, गोपालगंज सम्प्रति निरीक्षक उत्पाद रोहतास के विरूद्ध दिनांक 16.08.2016 को गोपालगंज जिला में हुई जहरीली कांड में अवैध शराब का निर्माण एवं चौर्य व्यापार पर प्रतिबंध लगाने में असफल, कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता तथा प्रभावकारी पर्यवेक्षण का अभाव आदि आरोप में विभागीय संकल्प संख्या–355 दिनांक 25.01.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

2. संचालन पदाधिकारी–सह–उपायुक्त उत्पाद, पटना–सह–मगध प्रमंडल, पटना द्वारा अपने पत्रांक–60 दिनांक 11.06.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें निष्कर्षित किया गया है कि आरोपित पदाधिकारी का स्पष्टीकरण, समर्पित साक्ष्यों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी पर लगाया गया आरोप सं0–1,2 एवं 3 प्रमाणित नही होता है। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक–2196 दिनांक 29.06.2018 द्वारा आरोपित पदाधिकारी से द्वितीय बचाव वयान की माँग की गई। आरोपित पदाधिकारी द्वारा दिनांक 17.07.2018 को द्वितीय बचाव वयान समर्पित किया गया जिसमें आरोपों से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय बचाव वयान पर सम्यक विचारोपरान्त श्री संजय कुमार चौधरी, तत्कालीन निरीक्षक उत्पाद गोपालगंज सम्प्रति निरीक्षक उत्पाद, रोहतास के विरूद्ध वर्ष-2016-17 के आरोप के लिये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–14 (i) के तहत "निन्दन" का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

4. इस पर सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

14/08/18

(अभय राज)

सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 8/आ0(राज0उ0)–2–27/2016 - 2850

पटना, दिनांकः– 14-08-18

प्रतिलिपिः–अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग ई–गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

14/8/18

सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–8 / आ0(राज0उ0)–2–27 / 2016................/ पटना, दिनांकः–...........................

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग बिहार पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद–सह–निबंधन महानिरीक्षक बिहार, पटना के आप्त सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5 /आई0टी0 मैनेजर एवं श्री संजय कुमार चौधरी, तत्कालीन निरीक्षक उत्पाद, गोपालगंज सम्प्रति निरीक्षक उत्पाद रोहतास को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

E-mail

सरकार के संयुक्त सचिव
बिहार, पटना।